न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारीः- प्रियंकर सिहाग, आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्याः-445/2019

राजस्थान राज्य

--अभियोगी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र घीसाराम उम्र 42 साल निवासी वार्ड नंबर 18 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. धर्मचन्द पुत्र घीसाराम उम्र 38 साल निवासी वार्ड नंबर 18 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. मनोज कुमार पुत्र घीसाराम उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 18 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 15 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

--अभियुक्तगण

अपराध अ0 धारा- 452, 354, 325, 323, 336, 427

सपठित धारा 34 भा0दं0सं0

उपस्थितः-

1. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से
2. श्री संदीप भोजक, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से
3. श्री शंकरदास स्वामी, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से

-निर्णय-

दिनांकः-18-12-2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29-04-2019 को परिवादी सम्पतमल ने पुलिस थाना सरदारशहर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह वार्ड नंबर 18 सरदारशहर का रहने वाला है। दिनांक 27-04-2019 को उसका लड़का रवि प्रकाश नाकरासर बारात में अपनी गाड़ी स्वीफ्ट डिजायर लेकर गया और बारात में नाच गाने के दौरान उसके लड़के रविप्रकाश के साथ किशनलाल ने जानबुझकर झगड़ा शुरू कर दिया और गालियां निकाली। उसका लड़का सीधा साधा है इसलिये उसने

वहां कुछ नहीं कहा और बात आई गई हो गई। मगर किशनलाल ने उसके लड़के रवि प्रकाश से इस बात को लकर नाराजगी रखी। दिनांक 28-04-2019 को रात्रि के करीब साढ़े आठ बजे उसके घर में नाजायज रूप से किशनलाल, मनोज कुमार, धर्मचन्द, ओमप्रकाश, सुखलाल, मुन्नालाल एवं विक्की एक राय होकर उसके लड़े रवि प्रकाश को मारपीट करने की पूर्व तैयारी कर हथियारों से लैस होकर घुसे। किशनलाल के हाथ में लाठी एवं अन्य सभी के हाथों में ईन्ट पत्थर थे। आते ही किशनलाल ने कहा रविड़े को बाहर निकालो साले को जान से मारेंगे और घर के आंगन में पत्थर फैंके। वह उस समय आंगन में था और उसकी पत्नी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। किशनलाल व मनोज कुमार ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसकी पत्नी को बाल पकड़कर घसीटकर बाहर निकाला और आंगन में लाकर पटका और उसके कपड़े फाड़कर बेईज्जती की। किशनलाल ने लाठी से उसकी पत्नी के सिर में व मुंह पर वार किया। नाक पर भी चोट मारी और ठोकर से उसकी पत्नी के गुप्तांग पर चोट मारी, जिससे खून निकलने लगा। उसके साथ भी सभी ने थाप-मुक्कों से मारपीट की। उन्होंने जोर जोर से मारे-मारे का रोला किया तो पड़ौस के घर से उसका भाई नोरतमल, उसकी पत्नी राजूदेवी, उसकी मां रामीदेवी व लड़का मूलचन्द भागकर आये और उनको छुड़ाने लगे तो किशनलाल वगैरा ने मिलकर उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसके भाई नोरतनमल के दांये हाथ के पुंचे पर लाठी की चोट लगी। राजूदेवी को थाप-मुक्कों से मारा। उसकी मां रामीदेवी के पीठ पर मारी। उसकी पत्नी मुन्नीरदेवी के कान से एक सोने की पत्ति, नाक का कांटा व गलसरी किशनलाल वगैरा ने तोड़ लिये और उसकी जेब से किशनलाल ने 3,800/- रूपये निकाल लिये और उनके आंगन में पड़ा फ्रीज का दरवाजा भी तोड़ दिया और मौके से भाग गये। उनको उसका भाई नोरतनमल गाड़ी में अस्पताल लेकर आया। किशनलाल आदि ने उसके घर में रविप्रकाश को मारने की तैयारी कर हथियार लेकर घुसे। उनको मारपीट किया और आंगन में पत्थर फैंके। बाथरूम का गेट तोड़ दिया व उसकी पत्नी के कपड़े फाड़कर घसीटकर बेईज्जती की तथा सोने के जेवरात व नकद रूपये ले गये, आदि। इस रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी, पुलिसथाना सरदारशहर ने प्र0सू0रि0 208/2019 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण किशनलाल, धर्मचन्द, मनोज कुमार व ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 452, 354, 325, 323, 336, 427 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 452, 354, 325, 323, 336, 427 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 के तहत अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने विचारण परिवादी/आहतगण सम्पतमल, मुन्नीदेवी, रामीदेवी तथा नोरतनमल द्वारा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्तगण के साथ धारा 323, 325 तथा 427 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के तहत अपराध के आरोपों में राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। अभियुक्तगण को उक्त राजीनामा के आधार पर धारा 323, 325 तथा 427 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के तहत अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है। प्रकरण में अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 354 तथा 336 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोप शेष रहे हैं जिसकी हद तक प्रकरण का विनिश्चय किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 रामीदेवी, पी.ड.02 मुन्नीदेवी, पी.ड.03 सम्पतमल और पी.ड.04 नवरत्न के बयान लेखबद्ध कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-8 तक दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से शेष गवाहान को अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का विचारणीय बिन्दु यह है किः-

> ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28-04-2019 को वक्त रात्रि 08:30 बजे या उसके लगभग अपने सामान्य आशय के अग्रसर में वाके कस्बा सरदारशहर में स्थित परिवादी सम्पतमल के मकान में परिवादी के लड़के रवि प्रकाश को उपहति, हमला व सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के उपरान्त गृह अतिचार कारित कर परिवादी सम्पतमल की पत्नी मुन्नीदेवी की लज्जा भंग करने के आशय से उसके बाल पकड़कर तथा कपड़े फाड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए परिवादी सम्पतमल के घर में लापरवाही व उपेक्षापूर्वक पत्थरों आदि को फैंककर परिवादी पक्ष का जीवन व वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया, यदि हां तो अभियुक्तगण की उपयुक्त सजा क्या होगी?''

7. इस बिन्दू को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। इस संबंध में प्रकरण पर प्रमुख गवाह पी.ड.3 परिवादी सम्पतमल है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके बयानों से करीब डेढ़ साल पहले वह बाहर गली में खड़ा था। तभी उनके पड़ौसी किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द तथा

मनोज आ गये और रवि की बात को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे। उसका शोर सुनकर उसकी पत्नी मुन्नीदेवी, मां रामीदेवी व भाई नवरतन बीच बचाव करने आये तो उनके साथ भी इन सब ने मारपीट की। शोर मचाने पर आस-पड़ौस के लोग आये तो ये सब मौके से चले गये। झगड़ा बाहर गली आम में हुआ था। झगड़े के दौरान किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने उनके घर में घुसकर उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही उसकी पत्नी मुन्नीदेवी की लज्जा भंग की और ना ही लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े। ना ही उनके घर में घुसकर फ्रीज व गेट तोड़े और ना ही पत्थर फैंके। परिवादी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। पक्षद्रोही होकर साक्षी ने थाने में स्वयं द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-4 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी-5 पर ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर होना तो बताया है लेकिन इसका हिस्सा सी से डी जिसमें उनके मकान में अभियुक्तगण द्वारा नाजायज रूप से घुसने, उसकी पत्नी मुन्नीदेवी के बाल पकड़कर घसीटने व कपड़े फाड़कर लज्जा भंग करने तथा घर के आंगन में पत्थर फैंकने बाबत अंकन है नहीं लिखवाया जाना बताया है। परिवादी अपने पुलिस बयान होना बताते हुए पुलिस बयान प्रदर्श पी-6 का हिस्सा ए से बी हिस्सा पुलिस को नहीं दिया जाना कथन कर रहा है। साक्षी नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 पर ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर पुलिस थाना में खाली कागजों पर करना कथन कर रहा है। परिवादी साक्षी ने अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये इस सुझाव को गलत बताया है कि किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने उनके घर में घुसकर गेट व फ्रिज तोड़े हो और पत्थरबाजी की हो तथा उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर लज्जा भंग करने के आशय से उसकी पत्नी मुन्नीदेवी के कपड़े फाड़े हो और उसके साथ मारपीट की हो। झगड़ा बाहर गली आम में हुआ था। परिवादी मुलजिमान के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार कर रहा है। इस तरह परिवादी साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 पर पुलिस थाना में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने का कथन करके उक्त फर्द की कार्यवाही उसके सामने निष्पादित की गयी हो साबित नहीं हो पाया है तथा यह फर्द नक्शा मौका पुलिस द्वारा मौका पर तैयार की गयी हो यह प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में नाजायज रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार करने, उसकी पत्नी मुन्नीदेवी की लज्जा भंग करने तथा उपेक्षा व उतावलेपन से उनके घर में पत्थर फैंकने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

8. प्रकरण की अन्य दृष्टा व आहत साक्षी पी0ड02 मुन्नीदेवी जो कि परिवादी सम्पतमल की पत्नी है, ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि उसके बयानों से करीब डेढ़ साल पहले वह घर पर थी तभी बाहर गली में शोर सुनाई दिया तो वह बाहर गयी तो बाहर गली में उनके पड़ौसी किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द तथा मनोज उसके

पति सम्पत के साथ मारपीट कर रहे थे। जब वह बाहर गयी और बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। उनका शोर सुनकर उसकी सास व उसके देवर नवरन्त ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। शोर मचाने पर आस पड़ौस के लोग आये तो ये सब मौके से चले गये। झगड़ा बाहर गली आम में हुआ था। झगड़े के दौरान किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने उसके साथ लज्जा भंग नहीं की और ना ही लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े। ना ही उनके घर में घुसकर फ्रीज व गेट तोड़े और ना ही पत्थर फैंके थे। यह गवाह भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवायी गयी है। जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में अपने पुलिस बयान होना बताते हुए पुलिस बयान प्रदर्श पी-2 का ए से बी हिस्सा पुलिस को नहीं लिखाया जाना कथन कर रही है। साक्षी अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों के संबंध में अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी-3 होना व इस पर अपने हस्ताक्षर होना तो बताया है, लेकिन इसमें उसके द्वारा किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने व उसकी लज्जा भंग करने के बारे में कथन किसी के बहकावे में आकर लिखवा दिये जाना बता रही है। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये इन सुझावों को गलत बताया है कि किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने उनके घर में घुसकर गेट व फ्रिज तोड़े हो और पत्थरबाजी की हो तथा उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े हो तथा उसके साथ मारपीट की हो। झगड़ा बाहर गली आम में हुआ था। परिवादी की तरह उक्त साक्षी ने भी मुलजिमान के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार इस दृष्टा साक्षी ने भी अपने सम्पूर्ण बयान में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने उनके घर में घुसकर उसके बाल पकड़कर व कपड़े फाड़कर लज्जा भंग की हो और घर के आंगन में पत्थर फैंके हो, बल्कि इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा झगड़ा गली आम में करना, उसकी लज्जा भंग नहीं करना बताते हुए अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट नहीं करने तथा पत्थर नहीं फैंकने बाबत कथन किये हैं।

9. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य अहम दृष्टा साक्षीगण पी0ड01 रामीदेवी तथा पी0ड02 नवरत्न जो कि क्रमशः परिवादी की माता व भाई है, ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि उनके बयानों से करीब डेढ़ साल पहले वे घर पर थे। तभी बाहर गली में शोर सुनाई दिया तो वे बाहर गये तो बाहर गली में उनके पड़ौसी किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द तथा मनोज सम्पत व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। तब उन्होंने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। शोर मचाने पर आस पड़ौस के लोग आये तो ये सब मौके से चले गये। झगड़ा बाहर गली आम में

हुआ था। झगड़े के दौरान किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने मुन्नीदेवी की लज्जा भंग की और ना ही लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े। ना ही उनके घर में घुसकर फ्रीज व गेट तोड़े और ना ही पत्थर फैंके। उक्त गवाहान भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाये गये है। जिन्होंने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में अपने पुलिस बयान होना बताते हुए पुलिस बयानात क्रमशः प्रदर्श पी-1 व 8 के हिस्सेजात ए से बी हिस्सा पुलिस को नहीं लिखाया जाना कथन कर रहे है। साक्षी नवरत्न नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 पर सी से डी स्थान पर अपने हस्ताक्षर पुलिस थाना में खाली कागजों पर करना कथन कर रहा है। साक्षीगण ने अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये इन सुझावों को गलत बताया है कि किशनलाल, ओमप्रकाश, धर्मचन्द व मनोज ने उनके घर में घुसकर गेट व फ्रिज तोड़े हो और पत्थरबाजी की हो तथा उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर लज्जा भंग करने के आशय से मुन्नीदेवी के कपड़े फाड़े हो। साक्षीगण के अनुसार झगड़ा बाहर गली आम में हुआ था। परिवादी की तरह उक्त साक्षीगण भी मुलजिमान के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार कर रहे है। इस प्रकार इन दृष्टा साक्षीगण ने भी अपने सम्पूर्ण बयान में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने उनके घर में घुसकर मुन्नीदेवी के बाल पकड़कर व कपड़े फाड़कर लज्जा भंग की हो और घर के आंगन में पत्थर फैंके हो, बल्कि इन गवाहान ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा झगड़ा गली आम में करना, परिवादिया मुन्नीदेवी की लज्जा भंग नहीं करना बताते हुए अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट नहीं करने व पत्थर नहीं फैंकने बाबत कथन किये हैं। इसके अतिरिक्त साक्षी नवरत्न ने भी नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 पर पुलिस थाना में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है जिससे यह फर्द नक्शा मौका पुलिस द्वारा मौका पर तैयार की गयी हो यह प्रमाणित नहीं होता है।

10. इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण करने से प्रकट है कि परिवादी सम्पतमल, रामीदेवी, मुन्नीदेवी तथा नवरत्न सभी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होने अभियुक्तगण द्वारा झगड़ा गली आम में करना, मुन्नीदेवी की लज्जा भंग नहीं करना बताते हुए अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट नहीं करने तथा पत्थर नहीं फैंकने बाबत ही कथन किये हैं। समस्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घुसकर पत्थरबाजी करने तथा मुन्नीदेवी की लज्जा भंग करने के तथ्यों से भी स्पष्टतया इनकारी की है। अनुसंधान के दौरान तैयार की गयी फर्द नक्शा मौका के संबंध में भी गवाहान ने थाने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करना बता रहे हैं। आहतगण के साथ मारपीट एवं कारित चोटों तथा रिष्टि के संबंध में आहतगण का अभियुक्तगण के साथ राजीनामा होकर तस्दीक करवाया जा चुका है।

11. इस प्रकार प्रकरण पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28-04-2019 को वक्त रात्रि 08:30 बजे या उसके लगभग अपने सामान्य आशय के अग्रसर में वाके कस्बा सरदारशहर में स्थित परिवादी सम्पतमल के मकान में परिवादी के लड़के रवि प्रकाश को उपहति, हमला व सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के उपरान्त गृह अतिचार कारित कर परिवादी सम्पतमल की पत्नी मुन्नीदेवी की लज्जा भंग करने के आशय से उसके बाल पकड़कर तथा कपड़े फाड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए परिवादी सम्पतमल के घर में लापरवाही व उपेक्षापूर्वक पत्थर आदि फैंककर परिवादी पक्ष का जीवन व वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया हो। इस कारण अभियुक्तगण को धारा 452, 354 सपठित धारा 34 तथा 336 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के तहत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

<u>-आदेश-</u>

12. अतः अभियुक्तगण किशनलाल उम्र 42 साल, धर्मचन्द उम्र 38 साल, व मनोज कुमार उम्र 34 साल पुत्रगण घीसाराम निवासीगण वार्ड नंबर 18 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू तथा ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 15 सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू को आरोप अन्तर्गत धारा 452, 354 सपठित धारा 34 तथा 336 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 से साक्ष्य के अभाव में तथा अपराध धारा 323, 325 तथा 427 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के तहत अपराध के आरोपों से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(प्रियंकर सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर जिला - चूरू

13. निर्णय आज दिनांक 18-12-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंकर सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर जिला - चूरू